

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 335] No. 335] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 2016/भाद्र 4, 1938 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 2016/BHADRA 4, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2016

फा. सं. मानक/ओ एंड एफ/अधिसूचना(2)/एफ़एसएसएआई-2016.—खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्वंधन) संशोधन विनियम, 2016 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फा.सं. मानक/ओ एंड एफ/अधिसूचना(2)/एफ़एसएसएआई-2016, तारीख 14 जून, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गईं थी, तीस दिनों की अविध की समाप्ती के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 14 जून, 2016 को उपलब्ध करा दी गईं थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा, जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं किए गए हैं;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 92 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्;

4163 GI/2016 (1)

विनियम

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) प्रथम संशोधन विनियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 में अंग्रेजी संस्करण में, विनियम 2.3 के उप-विनियम 2.3.14 के खण्ड (11) में, "जिनका भार 15 लीटर से अधिक न हो", शब्दों के स्थान पर "जिनका भार 15 कि.ग्रा. से अधिक न हो" शब्द रखे जाएंगे।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./220]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात उनमें अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 8 फरवरी, 2013 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2016

F. No. Stds/O&F/Notification(2)/FSSAI-2016.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2016, was published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number **F.No.** Stds/O&F/Notification(2)/FSSAI-2016 dated the 14th June, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections or suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 14th June, 2016;

And whereas no objections and suggestions have been received by Food Safety and Standards Authority of India from the public in respect of the said draft regulations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 92 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition, Restrictions on Sales) Regulations, 2011, namely:-

Regulations

- 1. **Short title and Commencement.-** (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) First Amendment Regulations, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, in English version, in regulation 2.3, in sub-regulation 2.3.14, in clause (11), for the figures and word "15 litres", the figures and word "15 kilograms" shall be substituted.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./220]

Note.—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification number F.No.4/15015/30/2011 dated the 8th February, 2013.